राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 202/1992

राजस्थान राज्य

----अपीलार्थी

बनाम

1. इकबाल पुत्र श्री अब्दुल रहमान, बी/सी मुसलमान छीपा, निवासी फालना स्टेशन, फालना, बाली।

2. श्रीमती भगवंती पुत्र बाबू लाल, बी/सी जैन, निवासी खरडियो का बास, बाली।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री बी.आर. बिश्नोई, पीपी
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री सुनील मेहता श्री एस. डी. पुरोहित के लिए सुश्री शिवानी मुथा

माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

04/08/2023 (माननीय आर.पी.सोनी, न्यायमूर्ति)

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाली, (जिला पाली) द्वारा सत्र केस संख्या 13/1986 (63/1983) में दिए गए निर्णय और आदेश के विरूद्ध निर्देशित की जाती है, जिसमें प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया था। दोनों आरोपियों पर 13.05.1983 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच प्यारी बाई की हत्या करने और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका दम घोंटने का आरोप लगाया गया था।

2. बरी किए जाने के विरूद्ध वर्तमान अपील के निपटान के लिए जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे संक्षेप में कहा गया है कि 13.05.1983 को दोपहर लगभग 2.15 बजे, पुलिस स्टेशन बाली (जिला पाली) के कांस्टेबल जीवा राम (पीडब्ल्यू-

12) ने इस आशय की मौखिक सूचना (प्रदर्श-11) दी कि जब वह शहर में गश्त करते हुए दोपहर लगभग 2.00 बजे गांधी चौक पहुंचे, उसने वहां भीड़ देखी। भीड़ में शामिल लोग कह रहे थे कि एक वृद्ध महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या की गई है। वह *खरड़िया बास* गए, जहां नगरपालिका भवन के बगल में स्थित बाबूलाल जैन के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही थी। घर में बाबूलाल जैन भाग्यवंती की पत्नी मौजूद थीं। कुछ लोग घर के अंदर भी खड़े थे। घर के *पोल* में फर्श पर थोड़ा बहुत खून बिखरा हुआ था और घर के *चौक* में एक छोटी बाल्टी भी रखी हुई थी, जो पानी से आधी भरी हुई थी और जिसका रंग लाल जैसा था। इससे उसे अंदाजा हो गया कि अपराधी ने उस बाल्टी में अपने खून से सने हाथ धोए थे। एक कमरे में भाग्यवंती की सास प्यारी बाई के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और वह चारपाई पर मृत पड़ी थी। कपड़ा खून से भरा हुआ था। उसके ब्लाउज के दोनों कंधों पर भी खून था और नाक और मुंह से भी खून बह रहा था। वहां पड़े दो छोटे कालीन भी खून से सने मिले। कमरे में 2-3 बक्से खुले पड़े थे।

3. एफ.आई.आर. आगे कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने प्यारी बाई की हत्या कर दी है, जिससे उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका दम घुट रहा है। वहां मौजूद मृतक की बहू भाग्यवंती ने पूछे जाने पर बताया कि यह घटना दिन में 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच हुई जब वह अपने बच्चों के साथ घर की ऊपरी मंजिल पर सो रही थी। उनके पति मुंबई में रहते हैं। जिस घर में यह घटना हुई वहां केवल प्यारी बाई और भाग्यवंती अपने बच्चों के साथ रहती हैं।

4. कांस्टेबल जीवा राम द्वारा दर्ज कराई गई उक्त शिकायत के अनुसरण में, जांच शुरू की गई और दोनों प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया। सत्र न्यायालय में मामला सौंपे जाने के बाद, प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए, जिनके लिए उन्होंने दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना किया।

5. प्रत्यर्थीगण के दोष को सामने लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 28 अलग-अलग दस्तावेज भी प्रदर्शित किए। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में लगाए गए आरोपों का सामना करने पर, दोनों प्रत्यर्थीगण ने उन सभी संदिग्ध परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है

और वे निर्दोष हैं। मुकदमे के दौरान प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिपादित बचाव पूरी तरह से इनकार का था। बचाव पक्ष की ओर से बचाव पक्ष के 13 गवाहों से उनके बचाव में पूछताछ की गई।

6. हमने दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है, आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की पूर्णत: फिर से सराहना की है और कानून पर सम्मानजनक और विचारशील विचार भी किया है।

7. अभियोजन पक्ष का यह स्वीकार किया गया मामला है कि किसी ने भी वास्तविक घटना नहीं देखी थी, जो मृतक के साथ हुई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, भाग्यवंती का पति मुंबई में रहता था और वह बाली शहर में अपने बच्चों और बूढ़ी सास प्यारी बाई के साथ रहती थी। घटना से लगभग डेढ़ साल पहले, प्रतिवादी इकबाल ने भाग्यवंती के घर के बगल में *"रूबी कॉफी हाउस"* नाम और शैली में एक वीडियो पार्लर शुरू किया था। भाग्यवंती के घर की छत तक कॉफी हाउस की छत से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नगर पालिका भवन भी भाग्यवंती के घर के पास ही है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि वीडियो पार्लर शुरू करने के बाद प्रतिवादी इकबाल ने भाग्यवंती को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अक्सर उसके घर आया करता था। पड़ोस के लोगों ने इकबाल और भाग्यवंती दोनों को कई बार घर के बाहर और छत पर बात करते और हंसते हुए देखा था। भाग्यवंती जब इकबाल के वीडियो पार्लर में फिल्म देखने आती थीं तो उनसे टिकट के पैसे भी नहीं लिए जाते थे। वीडियो पार्लर का नौकर जब नाइट शो के बाद पार्लर से निकल जाता था तो इकबाल रात को कॉफी हाउस में ही सो जाता था। धीरे-धीरे इकबाल ने कथित तौर पर सह-आरोपी भाग्यवंती के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिए थे और यही कारण है कि इकबाल और भाग्यवंती दोनों ने मिलकर प्यारी बाई की हत्या कर दी। सास की मौत की तारीख पर लोगों ने भाग्यवंती को रोते या दुखी होते हुए भी नहीं देखा।

8. शिकायत अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की गई थी क्योंकि उस समय हमलावर के रूप में आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि, दोनों प्रत्यर्थीगण इकबाल और भाग्यवंती को 20.05.1983 को गिरफ्तार कर लिया गया था। माना कि आरोपियों के विरूद्ध कोई सीधा साक्ष्य नहीं था। अभियुक्त के अपराध को सामने लाने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए गवाहों और

प्रदर्शित दस्तावेजों का प्रदर्शन निम्नानुसार है:-

1. दोनों प्रत्यर्थीगण के बीच अवैध संबंध और अंतरंगता का कारण बना:- चीमन लाल (पीडब्ल्यू-8), जीवा राम (पीडब्ल्यू-9), मो. इस परिस्थिति के संबंध में इलियास (पीडब्ल्यू-11), हक्का राम (पीडब्ल्यू-16) और कालू राम (पीडब्ल्यू-24) से पूछताछ की गई है।

2. इकबाल को घटना से पहले भाग्यवंती के घर में प्रवेश कराया जा रहा था:- इस परिस्थिति के संबंध में नरोतम दास (पीडब्ल्यू-10), रुस्तम खान (पीडब्ल्यू-15) से पूछताछ की गई है।

3. इकबाल को घटना के बाद भाग्यवंती के घर से निकलते हुए देखा जा रहा है:- सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) से इस पहलू में पूछताछ की गई है।

4. अपनी सास की मृत्यु के बाद भाग्यवंती का तत्काल आचरण और व्यवहार:- हक्का राम (पीडब्ल्यू-6) और प्रकाश (पीडब्ल्यू-19) को इस परिस्थिति के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

5. इकबाल की निशानदेही पर खून से सने कपड़े (नैपकिन) की बरामदगी:- खीमा बाबा (पीडब्ल्यू-6), भोपाल राम (पीडब्ल्यू-7) और सरदार खान (पीडब्ल्यू-20) की जांच की गई है। इस परिस्थिति के संबंध में रक्त रंजित कपड़े (प्रदर्श-7) और अनुच्छेद 2 और 11 का रिकवरी मेमो तैयार किया गया है।

6. इकबाल की खून से सनी कमीज की बरामदगी की जांच की गई है: इंदा राम (पीडब्ल्यू-3), तेजा राम (पीडब्ल्यू-4) की जांच की गई है। इस परिस्थिति के संबंध में रक्त रंजित शर्ट (प्रदर्श-5) और लेख 1 का रिकवरी मेमो तैयार किया गया है।

7. भाग्यवंती के खून से सने कपड़ों की बरामदगी- जोधा (पीडब्ल्यू-6), भोपालराम (पीडब्ल्यू-7) की जांच की गई है। इस परिस्थिति के संबंध में भाग्यवंती (प्रदर्श-9) और अनुच्छेद 3 और 4 के खून से सने कपड़ों का रिकवरी मेमो तैयार किया गया है।

8. रक्त मिश्रित पानी की बरामदगी जिसमें अपराधी के हाथ धोने की बात

कही गई थी:- बद्री नारायण शर्मा (पीडब्ल्यू-1), निर्भय राम (पीडब्ल्यू-2) की जांच की गई है। रिकवरी मेमो (प्रदर्श-3) और अनुच्छेद 10 ने इस परिस्थिति के संबंध में प्रस्तुत किया है।

9. मृत्यु के समय पहने गए मृतक के खून से सने कपड़ों की बरामदगी:- बद्री नारायण शर्मा (पीडब्ल्यू-1) और निर्भय राम (पीडब्ल्यू-2) की जांच की गई है। इस परिस्थिति के संबंध में मृतक के खून से सने कपड़ों का रिकवरी मेमो (प्रदर्श-4) और अनुच्छेद 5 से 7 तैयार किया गया है।

9. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, वे विश्वास पैदा नहीं करते हैं और उचित संदेह से परे प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि अन्य गवाहों के साक्ष्य, जिन्होंने कथित घटना से पहले और बाद में इकबाल को देखा था, को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि केवल आरोपी को इन गवाहों द्वारा देखा गया था, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने प्यारी बाई की हत्या की थी। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष मौत के कारण को सिद्ध करने में बुरी तरह से विफल रहा है क्योंकि मेडिकल बोर्ड के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं की गई थी।

10. जहां तक खून से सने कपड़े (नैपकिन) की बरामदगी का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि ट्रायल जज ने साक्ष्य के उस टुकड़े को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि मृतक के मुंह को भरने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े की बरामदगी आरोपी को कथित हत्या से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, अगर ठोस साक्ष्य विश्वसनीय और सच्चे नहीं हैं।

11. श्री बी.आर. बिश्नोई, विद्वान लोक अभियोजक ने हमें पूरे साक्ष्यों से अवगत करवाया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे उचित संदेह से परे सिद्ध होती हैं। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले साक्ष्यों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप, विकृत निष्कर्ष पर पहुंचे क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे सामान्य उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ सभी बरामदगी को सिद्ध कर दिया है और इसलिए विद्वान ट्रायल

जज को पूरे साक्ष्य को दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

12. उन्होंने आगे कहा कि अन्य परिस्थितियों जैसे आरोपियों के खून से सने कपड़े की बरामदगी, आरोपी की निशानदेही पर कपड़े (नैपकिन) की बरामदगी, नरोत्तम दास (पीडब्ल्यू-10) और सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) के साक्ष्य, जिन्होंने इकबाल को घटना से पहले भाग्यवंती के घर में प्रवेश करते हुए देखा था और घटना के बाद उसके घर से बाहर आ रहे थे, गवाहों के साक्ष्य जिन्होंने दोनों आरोपियों के बीच अवैध संबंधों और अंतरंगता के बारे में गवाही दी थी। घटना को स्पष्ट रूप से आश्वासन देता है और यह स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अंतिम बार देखे गए, मकसद और बरामदगी जैसी बुनियादी कड़ियों को सिद्ध नहीं किया है और चूंकि ये कड़ियाँ परिस्थितियों की श्रृंखला से गायब हैं, इसलिए प्रत्यर्थीगण को कथित अपराधी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और तत्काल मामले में उनके द्वारा किए गए निष्कर्ष को विकृत नहीं कहा जा सकता है और आरोपी को बरी करने में उनके द्वारा कोई स्पष्ट अवैधता नहीं की गई है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों की सराहना विकृत है या उसके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य के किसी भी दृष्टिकोण पर नहीं निकाला जा सकता है; यह कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा कानून के आवेदन में कोई त्रुटि नहीं है और न ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के लिए उनकी ओर से कोई महत्वपूर्ण चूक है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बरी करने वाली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर स्वीकार्य है और इसलिए, यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि बरी करने के आदेश से न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ है।

14. इससे पहले कि हम पक्षों की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करें, बरी किए जाने के विरूद्ध अपील से निपटने में लागू होने वाले कानून की स्थापित स्थिति पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा।

15. यह सुस्थापित कि यद्यपि अपीलीय न्यायलय के पास साक्ष्यों की सराहना करने और तथ्य के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए ट्रायल कोर्ट के समान

शक्तियां हैं, लेकिन उसे बरी करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक यथोचित संभव दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायलय को केवल इसलिए बरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि एक और दृष्टिकोण बेहतर या अधिक बेहतर है।

16. इस बिंदु पर सुसंगत और सुस्थापित कानून यह है कि उच्च न्यायालय केवल तभी बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जब:-

(1) ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना विकृत है या उसके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य के किसी भी दृष्टिकोण पर नहीं निकाला जा सकता है।

(2) जहां कानून का प्रयोग अनुचित तरीके से किया जाता हो।

(3) मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के लिए पर्याप्त चूक है।

(4) बरी करने वाले न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर अनुचित है।

(5) अगर बरी करने के आदेश को बरकरार रखा जाता है तो इससे न्याय नहीं मिलेगा।

17. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सुदृढ़ और बाध्यकारी कारणों की इस परीक्षा को लागू करना होगा। दूसरे शब्दों में, हम इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले में यह निर्धारित करने के लिए लागू करेंगे कि क्या इस मामले में लगाए गए बरी होने के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक है।

18. इस मामले में, हमने पहले ही उन तथ्यों और साक्ष्यों को सुना है, जिन पर अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को सामने लाने के लिए भरोसा किया है। हमने आक्षेपित निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और सभी गवाहों के साक्ष्यों की पुन: सराहना की है। हम विद्वान ट्रायल जज से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य उचित संदेह से परे सभी परिस्थितियों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

19. शुरुआत में, हम पहली दो परिस्थितियों से निपटना चाहते हैं, अर्थात्, प्रतिवादी इकबाल और भाग्यवंती के बीच अवैध संबंध और मकसद जो अभियोजन पक्ष के अनुसार,

परिस्थितियों की श्रृंखला में मुख्य कड़ियाँ थी।

20. इस तथ्य के संबंध में कि इकबाल और भाग्यवंती के बीच अवैध संबंध थे, उक्त परिस्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए पहले गवाह चीमनलाल (पीडब्ल्यू-8) हैं। उन्होंने कहा कि भाग्यवंती के 2-3 बच्चे हैं; मृतक की मृत्यु से लगभग 20-25 दिन पहले, उन्होंने इकबाल को भाग्यवंती के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था; घटना से लगभग 7-8 दिन पहले, नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हक्काराम ने उन्हें बताया कि वीडियो पार्लर चलाने वाला व्यक्ति उनकी इमारत की छत पर घूम रहा था। नगर पालिका भवन की छत से भाग्यवंती के घर की छत और इकबाल के घर की छत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हक्काराम ने छत पर घूम रहे व्यक्ति का नाम नहीं बताया। जीवाराम (पीडब्ल्यू-9) ने बयान दिया है कि उसने इकबाल और भाग्यवंती को कहीं भी, किसी भी समय एक-दूसरे से बात करते नहीं देखा।

21. मो. इलियास वीडियो पार्लर के एक कर्मचारी (पीडब्ल्यू-11) ने कहा है कि भाग्यवंती इकबाल के वीडियो पार्लर में 1-2 बार फिल्म देखने आई थी; पड़ोसी होने के नाते, वह उससे टिकट के लिए पैसे नहीं लेता था; इकबाल ने भाग्यवंती को अपने पार्लर में मुफ्त में फिल्म देखने के लिए नहीं कहा; इकबाल कभी भाग्यवंती के घर नहीं गया। हक्काराम (पीडब्ल्यू-16) ने गवाही दी है कि एक बार जब उसने इकबाल को भाग्यवंती के घर पर बैठे देखा, तो उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी; इकबाल के पास भाग्यवंती के बच्चे भी बैठे थे। भाग्यवंती उस समय बर्तन साफ कर रही थी; इसके अलावा, उन्होंने इकबाल को भाग्यवंती के घर की छत पर घूमते हुए भी देखा। प्रकाश (पीडब्ल्यू-14) ने इस परिस्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और बयान दिया है कि उसने पुलिस के दबाव में पुलिस को बयान दिया था। कालूराम (पीडब्ल्यू-24) को भी अपने वक्तव्य से मुकरने वाला घोषित किया गया है। उसने कहा है कि वह भाग्यवंती और इकबाल को कभी नहीं जानता था और उसने यह भी कहा है कि उसने उन्हें कहीं एक साथ कभी नहीं देखा।

22. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि आरोपी इकबाल (अनुच्छेद-1) और भाग्यवंती (अनुच्छेद 3 और 4) के कपड़े भी पुलिस ने रिकवरी मेमो (प्रदर्श-5) और (प्रदर्श-9) के अंतर्गत बरामद किए थे जो खून से सने थे।

23. एक अवैध संबंध प्राय: सार्वजनिक दृष्टि से छिपा होता है और केवल कुछ ही लोग इस तथ्य से अवगत होते हैं। लोग प्राय: सामाजिक अस्वीकृति के डर से परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए इस तथ्य को दबाते हैं। अभियोजन पक्ष के लिए अवैध संबंध के प्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्र करना लगभग असंभव है और इसलिए, गवाहों के वक्तव्यों पर भरोसा करना होगा। अवैध संबंध घनिष्ठ संबंधों का एक बहुत ही उन्नत चरण है क्योंकि मैत्री, समाज और पड़ोसी के रूप में एक दूसरे के साथ बात करना है।

24. साक्ष्यों के विश्लेषण पर, यह सिद्ध होता है कि उक्त परिस्थितियों पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरे साक्ष्य ने केवल मोहम्मद इकबाल और भाग्यवंती के बीच संबंधों की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई है। अनैतिक संबंधों के तथ्य के संबंध में कुछ भी स्थापित नहीं किया गया है और यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य अवैध संबंध का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं हैं और हम यह नहीं मान सकते कि भाग्यवंती इकबाल के साथ व्यभिचारी जीवन जी रही थी।

25. मृतक और भाग्यवंती या इकबाल के बीच उनके कथित संबंधों के कारण दुश्मनी का कोई संदर्भ नहीं है। अभियोजन पक्ष ने किसी भी विवाद की प्रकृति का पता लगाने और रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उपरोक्त गवाहों की गवाही की सामग्री कथित मकसद का कोई संदर्भ नहीं देती है और गवाहों के वक्तव्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप को पूर्णत: नष्ट कर देते हैं। यह इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध है, जो गवाहों के भरोसेमंद होने के बारे में संदेह पैदा करता है। विरोधाभास के आधार पर भी, अवैध संबंधों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई उक्त गवाही निस्संदेह संदेह पैदा करती है और किसी भी मामले में यह स्वीकार करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि दोनों प्रत्यर्थीगण के अवैध संबंध थे, जिसे कथित घटना का मकसद माना जाता है। ऐसा होने के नाते, हमारी राय में, दो परिस्थितियां अर्थात्, अवैध संबंध और मकसद उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं कहा जा सकता है।

26. जहां तक अगली परिस्थितियों का प्रश्न है, इकबाल का घटना से पहले भाग्यवंती के घर में प्रवेश करना और घटना के बाद भाग्यवंती के घर से बाहर निकलते हुए देखे जाने का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने नरोत्तमदास (पीडब्ल्यू-10), रुस्तम खान (पीडब्ल्यू-15) और सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) के वक्तव्यों पर भरोसा किया है।

27. नरोत्तमदास (पीडब्ल्यू-10) ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह घटना वाले दिन दोपहर के शो में इकबाल के वीडियो पार्लर में फिल्म देखने गया था। उस दिन, वह पहली बार वीडियो पार्लर गया था। शो के दौरान जब वह पेशाब करने के लिए बाहर आया और एक गली में गया तो उसने इकबाल को बाबूलाल के घर जाते देखा।

28. रुस्तम खान (पीडब्ल्यू-15) ने वक्तव्य दिया है कि उसने घटना के दिन इकबाल को नहीं देखा था। वह घटना वाले दिन फिल्म देखने गए थे लेकिन वहां इकबाल नहीं दिखे। बाद में जब पुलिस वीडियो पार्लर में आई तो उसने इकबाल को वहां देखा।

29. सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) ने वक्तव्य दिया है कि वह नगर पालिका भवन में कुछ काम के लिए गया था। वापस लौटते समय, उन्होंने एक पोस्टर देखना शुरू कर दिया जो वीडियो पार्लर के बाहर चिपकाया गया था। उस दौरान उन्होंने इकबाल को बाबूलाल के घर से बाहर निकलते देखा। उसे नहीं पता कि बाबूलाल के घर में कौन रहता था। इसके बाद, वह अपने घर गया और शाम को सुना कि एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था।

30. अभियोजन पक्ष के मामले का एक अन्य पहलू यह है कि इकबाल द्वारा पहनी गई शर्ट भी खून से सनी थी जब उसने कथित तौर पर प्यारी बाई की हत्या की थी और वह खून से सनी शर्ट भी पार्लर की इमारत से मेमो (प्रदर्श-15) के माध्यम से बरामद की गई थी। रोचक तथ्य यह है कि गवाह सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) इस तथ्य को नहीं बताता है कि जब उसने इकबाल को बाबूलाल के घर से बाहर निकलते देखा, तो उसकी शर्ट खून से सनी हुई थी। ऐसी स्थिति में सुरेश कुमार (पीडब्ल्यू-5) का वक्तव्य पूर्णत: अविश्वसनीय सिद्ध होता है जो उक्त परिस्थिति पर पानी फेर देता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को अंतिम देखी गई परिस्थिति को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

31. उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी इकबाल को भाग्यवंती के घर में प्रवेश करते और बाहर आते हुए देखा गया था, यह सुस्थापित कानून है कि इकबाल का ऐसा कृत्य एक बहुत ही कमजोर परिस्थिति है और अपने आप में, आरोपी की सजा को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है जब तक कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित न हो जाए। इस परिस्थिति को कुछ साक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि आखिरी बार एक साथ

देखा गया था, हत्या के साथ कोई संबंध था। चूंकि, यह एक बहुत ही कमजोर प्रकार की परिस्थिति है, इसलिए, अंतिम बार एक साथ देखा जाना सदैव दोषसिद्धि को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसलिए, यह तथ्य कि प्रतिवादी इकबाल को आखिरी बार भाग्यवंती के घर में प्रवेश करते हुए देखा गया था, अपराध के अकाट्य अनुमान की ओर नहीं जाता है।

32. अभियोजन पक्ष ने जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया, उनमें इकबाल की खून से सनी कमीज की बरामदगी, भाग्यवंती के खून से सने कपड़ों की बरामदगी, इकबाल की निशानदेही पर खून से सने कपड़े (नैपकिन) की बरामदगी, खून मिश्रित पानी की बरामदगी, मृतका के खून से सने कपड़ों की बरामदगी शामिल है, जो उसने अपनी मौत के समय पहने थे। अभियोजन पक्ष ने इसे सिद्ध करने के लिए विभिन्न गवाहों को पेश किया है, विभिन्न दस्तावेज और लेख प्रदर्शित किए हैं।

33. बरामदगी का पहला गवाह सदर खान (पीडब्ल्यू-20) है। उसके द्वारा यह कहा गया है कि वीडियो पार्लर की चाबी उसके पास रहती थी जिसे घटना के बाद एसएचओ ने ले लिया था लेकिन पुलिस ने उसकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं किया; उसे पता नहीं चला कि बरामदगी के उद्देश्य से पुलिस ने पार्लर कब खोला और बरामदगी के समय उसने इकबाल को वहां नहीं देखा। भोपाल राम (पीडब्ल्यू-7) ने कहा है कि पुलिस ने उसकी उपस्थिति में इकबाल के पास से कोई कपड़ा (नैपकिन) बरामद नहीं किया था; उसे यह पता नहीं है कि पुलिस को वह कपड़ा कहां से मिला; भाग्यवंती से भी कोई बरामदगी नहीं हुई थी और उसने थाने में ही कपड़ा देखा था।

34. इंदा राम (पीडब्ल्यू-3) और तेजा राम (पीडब्ल्यू-4) आरोपी इकबाल की कमीज बरामद होने से संबंधित गवाह हैं। इंदा राम की गवाही इस आशय की है कि उसने बरामद शर्ट को पुलिस स्टेशन में देखा था; यह कहना गलत है कि उनकी मौजूदगी में घटना स्थल के बगल में एक घर के सूखे नाले से शर्ट निकाली गई थी। गवाह तेजा राम (पीडब्ल्यू-4) को अपने वक्तव्य से मुकर जाने की घोषणा की गई और उसने कहा कि रिकवरी मेमो में यह गलत बताया गया है कि इकबाल ने घटना स्थल के बगल में घर के खुले नाले से शर्ट बरामद की थी।

35. इकबाल आईएस (प्रदर्श-7) की निशानदेही पर खून से सने कपड़े की बरामदगी और

खून मिश्रित पानी की बरामदगी जिसमें दोषियों ने कथित तौर पर अपने हाथ धोए थे, (प्रदर्श-3) है। उक्त ज्ञापन के दोनों मोतबीर बद्री नारायण (पीडब्ल्यू-1) और निर्भय राम (पीडब्ल्यू-2) हैं, जिन्होंने गवाही दी है कि पुलिस ने उनकी उपस्थिति में घटना स्थल का दौरा किया था; बूढ़ी औरत मृत पड़ी थी; उनकी मौजूदगी में पुलिस ने पानी या कपड़े को कब्जे में नहीं लिया।

36. यह बहुत अप्राकृतिक लगता है और यह भी असंभव है कि एक व्यक्ति घर में खुले तौर पर पड़े खून से सने पानी की बाल्टी को छोड़ देगा और इसे संरक्षित करने के उद्देश्य से अपराध स्थल से नाली में पानी नहीं डालेगा।

37. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, यह सिद्ध होता है कि वसूली गवाहों की गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इस पृष्ठभूमि में, निस्संदेह सभी बरामदगी उनकी वास्तविकता और उनकी सामग्री के बारे में संदेह पैदा करती है। किसी भी मामले में यह स्वीकार करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि सभी बरामदगी गवाहों की उपस्थिति में और अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से की गई थी।

38. हम सभी बरामदगी के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में बिल्कुल कोई गलती नहीं पाते हैं और इसलिए मानते हैं कि वस्तुओं की बरामदगी अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं की गई है।

39. कानून अच्छी तरह से तय है कि वस्तुओं की बरामदगी अभियुक्त के विरूद्ध ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं हो सकती है। यदि बरामदगी की प्रकृति में साक्ष्य पूर्णत: संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं, तो अभियुक्त के कहने पर वसूली अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती है। दूसरे शब्दों में इकबाल की खून से सनी कमीज की बरामदगी, इकबाल के पास से खून से सने कपड़े (नैपकिन) की बरामदगी, भाग्यवंती के खून से सने कपड़ों की बरामदगी, मृतक के खून से सने कपड़ों की बरामदगी और एक बाल्टी में खून मिला पानी बरामद होना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 लगाकर आरोपी को प्यारी बाई की हत्या से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था।

40. हमारी राय में, केवल इसलिए कि आरोपियों के कपड़ों पर कुछ खून के धब्बे मृतक के रक्त समूह से मेल खाते हैं, अभियोजन पक्ष को आरोपियों को प्यारी बाई की हत्या से

जोड़ने में मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके विरूद्ध अन्य ठोस साक्ष्य नहीं हैं। प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपराध का कोई निष्कर्ष इस तथ्य से नहीं निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण के कपड़ों पर मृतक के रक्त समूह के रक्त के धब्बे पाए गए थे।

41. परिस्थितियों की श्रृंखला में मुख्य कड़ियाँ गायब हैं और इसलिए, हमारी राय में, अकेले बरामदगी आरोपी को प्यारी बाई की हत्या से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

42. अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा आधार बनाई गई अंतिम परिस्थिति पर विचार करना चाहेंगे जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करना चाहता था कि प्यारी बाई की मौत हत्या की हिंसा के कारण हुई थी, लेकिन वह इस तथ्य को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष पीएमआर तैयार करने वाले डॉक्टर की जांच नहीं करके और डॉक्टर द्वारा प्रदर्शित पीएमआर को चिह्नित करके अपने कर्तव्य में विफल रहा। हम यह पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं की, जिसने शव परीक्षण किया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जारी की। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि उप-धारा (4) के अंतर्गत गणना किए गए सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की जांच करने और दस्तावेजों को चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह डॉक्टर की जांच किए बिना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचार नहीं करता है।

43. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 में कहा गया है कि जहां अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी न्यायलय के समक्ष कोई दस्तावेज दायर किया जाता है, उसे चिह्नित किया जा सकता है यदि दूसरे पक्ष को इसके अंकन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामग्री को केवल अपने लेखक को पेश करके सिद्ध किया जा सकता है। इस मामले में, पीएमआर (प्रदर्श-22) को जांच अधिकारी अमरुद्दीन (पीडब्ल्यू-22) द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो अभियोजन के लिए कोई उपयोग नहीं है और पीएमआर की सामग्री के साथ-साथ मृत्यु का कारण सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

44. इस मामले के दृष्टिकोण में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्यारी बाई की मौत हत्या की हिंसा के कारण हुई थी। किसी भी चिकित्सा साक्ष्य के

अभाव में, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपना मामला सिद्ध कर दिया है। इसलिए हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध हत्या के आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

45. यह अच्छी तरह से तय है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के हैं, उन परिस्थितियों में जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में, पूर्णत: स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार से स्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर रखा जा सके, लेकिन जिसे सिद्ध करने का प्रस्ताव है। अब तक साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।

46. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रृंखला में सभी कड़ियाँ थी। अभियोजन पक्ष जिन परिस्थितियों की श्रृंखला पर भरोसा करता है, उनमें हर कड़ी में कुछ न कुछ खामी होती है। इसलिए, इस तरह के साक्ष्यों को दोषसिद्धि के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

47. हमारी राय में, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की उचित सराहना पर बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई सुदृढ़ और बाध्यकारी कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

48. परिणामत: हम बरी किए जाने के विरूद्ध अपील खारिज करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 390 के अंतर्गत निष्पादित जमानत बांड, यदि कोई हो, रद्द कर दिया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), न्यायमूर्ति **(विजय बिश्नोई), न्यायमूर्ति**

nitin/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।